

10. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम :-

10.(क) परीक्षा योजना :-

- सहायक आचार्य, महाविद्यालय के पदों पर चयन की कार्यवाही 360 अंकों की लिखित परीक्षा (120 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित) तथा 40 अंकों के साक्षात्कार के आधार पर तैयार की गयी श्रेष्ठता सूची से की जायेगी।
यदि एक से अधिक अभ्यर्थियों की मेरिट समान हो तो ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम लिखित परीक्षा के अंक देखे जायेंगे तथा लिखित परीक्षा के भी अंक समान होने पर साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को देखा जाएगा। दोनों के भी अंक समान होने पर अनिवार्य अर्हता का अधिकतम प्रतिशत/पीएच०डी० और जे०आर०एफ०, नेट और पीएच०डी०, जे०आर०एफ०, नेट, पीएच०डी० को देखा जाएगा एवं सभी समान होने पर अन्त में स्नातकोत्तर के प्राप्तांक देखे जाएंगे। यदि लिखित परीक्षा, साक्षात्कार तथा अनिवार्य अर्हता के प्रतिशत अंक समान है तो उस अभ्यर्थी का नाम जो अधिक आयु का हो, उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- लिखित परीक्षा के कुल 120 प्रश्नों में से **30 प्रश्न सामान्य ज्ञान व 90 प्रश्न सम्बन्धित विषय** पर आधारित होंगे।
- लिखित परीक्षा की अवधि दो घण्टे की होगी।
- सभी प्रश्न बहुविकल्पीय (Multiple Choice Question) होंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प दिये रहेंगे, जिसमें केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काले बाल प्वाइंट पेन से काला करना होगा।
- अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर दिये जाने पर 03 अंक देय होगा तथा गलत/एकाधिक उत्तर दिये जाने के लिए 01 अंक घटा (Minus Marking) दिये जायेंगे।
- लिखित परीक्षा के कटऑफ एवं अभ्यर्थियों के प्राप्तांक चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

10.(ख) पाठ्यक्रम :- सहायक आचार्य पद के चयन हेतु लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट

www.upessc.up.gov.in पर उपलब्ध है, जिसे देखा व डाउनलोड किया जा सकता है।

11. लिखित परीक्षा सम्बन्धी निर्देश :-

- 11.1** परीक्षा की तिथि, स्थान, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थियों को SMS, ई मेल, समाचार पत्र व वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
- 11.2** प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना प्राप्त होने पर अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी को मुख्य पृष्ठ पर दिए गए "Admit Card Download" बटन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर/मोबाइल नम्बर तथा जन्म तिथि अंकित करनी होगी।
- 11.3** आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देंगे, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु संस्तुत भी कर दिया गया हो, तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

- 11.4** कदाचार अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में प्रतिवारित किया जा सकता है।
- 11.5** अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में काला बाल प्वाइंट पेन अपने साथ अवश्य लाएंगे तथा ओ०एम०आर० शीट के आयताकार खानों व गोलों को काले बाल प्वाइंट पेन से ही भरेंगे। काले के अतिरिक्त अन्य सभी रंगों के बाल प्वाइंट पेन, फाउन्टेन पेन, जेल पेन, स्केच पेन, एच.बी. पेन्सिल एवं सफेदा (Whitener) का प्रयोग वर्जित है। एक बार गोला भरे जाने के बाद उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार नहीं होगा। एक से अधिक गोला काला करने पर उसका न तो मूल्यांकन होगा और न उस पर कोई अंक ही दिये जाएंगे।
- 11.6** परीक्षा के दौरान ओ० एम०आर० शीट पर मिटाने के लिए इरेजर/नाखून/ब्लेड/सफेद तरल पदार्थ/(Whitener) आदि का प्रयोग या किसी अन्य प्रकार से क्षति ग्रस्त किया जाना निषिद्ध है। इनके किसी भी प्रयोग से ओ०एम०आर० शीट निरस्त हो जायेगी तथा ऐसी ओ०एम०आर० शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा।
- 11.7** अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर मांगी गयी सूचना से सम्बन्धित खानों को सही-सही भरें तथा उनसे सम्बन्धित गोलों को ही काला करें, जो स्कैनर मशीन द्वारा पढ़ी जा सके। OMR Answer Sheet में गोलों को काला करके दी गयी सूचनाओं के आधार पर ही आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन किया जायेगा। उत्तर-पत्रक में गोलों को ठीक से काला न करने और कोई भी सूचना त्रुटिपूर्ण भरे जाने की स्थिति में आयोग द्वारा OMR Answer Sheet का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 11.8** उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) में सम्बन्धित गोलों को ही पूरी तरह काला करें इसके अतिरिक्त किसी भी गोलों में कोई अन्य निशान जैसे डॉट, स्याही के निशान या कोई भी चिन्ह अंकित न करें अन्यथा उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
- 11.9** दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश दिनांक 04 दिसम्बर, 2019 एवं 08 सितम्बर, 2022 के अनुसार श्रुतलेखक (Scribe) की सुविधा दी जायेगी। श्रुतलेखक अभ्यर्थी अपने साथ लायेगा। श्रुतलेखक की सुविधा प्राप्त करने वाले दिव्यांगजन अभ्यर्थी सम्पूर्ण विवरण सहित अपना पंजीयन आयोग कार्यालय में लिखित परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व अवश्य करा लें, ताकि उनके बैठने की समुचित व्यवस्था केन्द्रों पर यथासमय की जा सके। उक्त अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घंटे का अतिरिक्त समय दिया जायेगा। श्रुतलेखक को कोई यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 11.10** लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित हो लें कि वे यू०जी०सी०/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हताएँ पूरी करते हैं। निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूरी न करने वाले अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सम्मिलित न हो, क्योंकि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने मात्र से अथवा लिखित परीक्षा में सफल होने मात्र से सहायक आचार्य पद पर अन्तिम रूप से चयन हेतु पात्र नहीं माने जायेंगे।
- 11.11** परीक्षा व साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- 12. अधिमानता :-** नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों से महाविद्यालयों की अधिमानता प्राप्त करने/महाविद्यालयों का आवंटन सम्बन्धी कार्य प्राधिकृत अधिकारी (शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ०प्र० प्रयागराज) द्वारा किया जायेगा।

13. साक्षात्कार के लिए निर्देश :-

- 13.1 लिखित परीक्षा के अंको के आधार पर साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्टेड (Shortlisted) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि, समय व स्थान की सूचना SMS, ई-मेल समाचारपत्र एवं आयोग की वेबसाईट www.upessc.up.gov.in के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व दी जायेगी।
- 13.2 साक्षात्कार की सूचना प्राप्त होने पर साक्षात्कार के लिए Shortlisted अभ्यर्थियों द्वारा आयोग की वेबसाईट www.upessc.up.gov.in पर जाकर साक्षात्कार पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा।
- 13.3 साक्षात्कार के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 13.4 साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की तिथि पर **परिशिष्ट-6** पर उपलब्ध प्रारूप पर शपथ-पत्र देना होगा।
- 13.5 आनलाइन आवेदन पत्र की दो प्रतियों के साथ-साथ आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में निम्नांकित अंकपत्र, प्रमाण-पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित दो-दो प्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करनी होंगी।
1. आनलाइन आवेदन पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 2. हाईस्कूल अंक पत्र व प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 3. इण्टरमीडिएट अंक पत्र व प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 4. स्नातक प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष अंक-पत्र तथा उपाधि की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 5. एलएल०बी० अंक-पत्र(समस्त वर्ष) व उपाधि की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 6. स्नातकोत्तर प्रथम व द्वितीय वर्ष अंक-पत्र तथा उपाधि की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 7. एम०एड० अंक-पत्र तथा उपाधि की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 8. एलएल०एम० प्रथम व द्वितीय वर्ष अंक-पत्र तथा उपाधि की स्व-प्रमाणित दो-दो प्रतियाँ
 9. पीएच०डी०/डी०फिल० उपाधि की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 10. एम०फिल० उपाधि की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 11. डी०लिट/डी०एस०सी०/एलएल०डी० उपाधि की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 12. अनापत्ति प्रमाण पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ (केवल सेवारत अभ्यर्थियों के लिए)
 13. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग(EWS) /स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र (केवल उ०प्र० राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ (**क्रमशः परिशिष्ट-1, 2, 3 व 4 पर**)
 14. दिव्यांग होने का प्रमाण-पत्र (केवल उ० प्र० राज्य के सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए) की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ (**परिशिष्ट-5 पर**)
 15. शपथ-पत्र की दो प्रतियाँ (**परिशिष्ट-6 पर**)
 16. अन्तिम शिक्षा संस्थान का चरित्र प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 17. दो सम्भ्रान्त व्यक्तियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित दो प्रतियाँ
 18. मा० न्यायालय में कोई वाद लम्बित होने अथवा न होने एवं वाद दायर होने की स्थिति में मा० न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने अथवा न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र

नोट :-

1. साक्षात्कार के लिए Shortlisted अभ्यर्थियों द्वारा उपर्युक्त सभी अंक पत्रों व प्रमाणपत्रों एवं अभिलेखों की स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के दो पृथक-पृथक सेट तथा उक्त समस्त के मूल अभिलेख सत्यापन हेतु

क्रमवार साक्षात्कार के समय साथ लाना सुनिश्चित करें अन्यथा उनका साक्षात्कार संभव नहीं होगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा।

2. साक्षात्कार तिथि में कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः अभ्यर्थी साक्षात्कार तिथि में परिवर्तन का अनुरोध न करें।
3. यदि आयोग द्वारा अपरिहार्य परिस्थितियों में साक्षात्कार तिथि में कोई परिवर्तन किया जाता है तो तत्संबंधी सूचना सम्बंधित अभ्यर्थियों को SMS/E-mail/पोर्टल/वेबसाइट के माध्यम से दी जायेगी।
4. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को दैनिक-भत्ता/यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।
5. ऐसे वांछित अभिलेख, जो कि अभ्यर्थी से सम्बंधित नहीं है, संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
6. परिशिष्ट-1, परिशिष्ट-2, परिशिष्ट-3, परिशिष्ट-4, परिशिष्ट-5 एवं परिशिष्ट-6 के प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।